## न्यायालय तहसीलदार(राजस्व) छतरगढ़ जिला बीकानेर

निर्णय दिनांक 19.04.2018

मु.नं. 03/2017

राजस्थान सरकार जरिये पटवारी हल्का मोतीगढ़ तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर (सायल)

बनाम

शेरे खां पुत्र रमजान खां जाति मुसलमान साकिन मोतीगढ़ तहसील छतरगढ़ जिला बीकानेर

(गैरसायल)

**अन्तर्गत राजस्थान भू.रा. अधिनियम 1956 की धारा 91**

**-निर्णय-**

संक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मोतीगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि गैर सायल शेरे खां पुत्र रमजान खां जाति मुसलमान साकिन मोतीगढ़ तहसील छतरगढ़ ने कृषि सम्वत् 2074 में ग्राम मोतीगढ़ के खसरा नम्बर 2509 में 1.00 एयर (100 वर्गमीटर) बारानी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोतीगढ़ के नाम से दर्ज खाली भूमि पर कच्चा झोपड़ा बनाकर अतिक्रमण किया है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर गैर सायल को जरिये नोटिस तलब किया गया।

नोटिस तामिल होकर प्राप्त हुआ। गैरसायल ने दिनांक 14.12.2017 को न्यायालय मे उपस्थित होकर ग्राम पंचायत की आबादी भूमि के पट्टे पर माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खाजूवाला द्वारा जारी स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत की, जो शामिल पत्रावली की गई। भू.अ.निरीक्षक सतासर को उक्त स्थगन आदेश मय विचाराधीन वाद की प्रति प्रस्तुत कर रिपोर्ट ली गई कि स्थगन आदेश अतिक्रमित भूमि के खसरा नम्बर 3935/2502, 2509 = 3.00 एयर (300 वर्गमीटर) से संबधित है अथवा नही ? भू.अ. निरीक्षक सतासर द्वारा रिपोर्ट पेश की गई कि गैरसायल द्वारा माननीय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट खाजूवाला द्वारा जारी स्थगन आदेश प्रस्तुत किया गया है, स्थगन आदेश अतिक्रमित भूमि से संबधित नही है।

अतः प्रकरण मे गैर सायल को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा भू-राजस्व का 50 गुना 50/- अक्षरे पचास पैसे रूपये शास्ति आरोपित कर बेदखली के आदेश पारित किये जाते है। भू.अ.निरीक्षक सतासर, पटवारी हल्का मोतीगढ़ को आदेशित किया जाता है कि मौके पर गैरसायल द्वारा बनाया गया कच्चे झोपडे को नष्ट कर, बेदखली की कार्यवाही करते हुये कब्जा भूमि बहक सरकार लेकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।

तहसील राजस्व लेखाकार को मांग कायमी व पटवारी हल्का को वसूली बाबत लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम कर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। इजराय पत्रावली अलग से मुर्तीब की जावे।

निर्णय आज दिनांक 19.04.2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार राव)
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
तहसीलदार एवं कार्यपालक दण्डनायक
छतरगढ़ (बीकानेर)